प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
प्र0सू0रि0 सं. ......209/2023......दिनांक......4/8/2023......

2. (I) अधिनियम ... .धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)
(II) अधिनियम .... धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....72..........समय.......4:00 PM.
(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– गुरूवार, 3.08.2023 समय 07.30 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.07.2023 समय 2.00 पीएम

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :–ग्राम दौलतपुरा तिराहा दुकान परचून श्री कैलाश पुजारी, जिला दौसा
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 70 कि0मी0 लगभग, दक्षिण पश्चिम कोण में
(ब)पता – ग्राम दौलतपुरा तिराहा दुकान परचून श्री कैलाश पुजारी, जिला दौसा
बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री रमेश चन्द मीना
(ब) पिता/पति का नाम – श्री जौहरीलाल मीना
(स) जन्म तिथी/वर्ष ....करीब 40 वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय– मजदूरी
(ल) पता– निवासी ग्राम श्रीगोविन्दपुरा, तह. लालसोट, जिला दौसा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री सोहनलाल बैरवा, जाति बैरवा, उम्र 48 साल, निवासी कालोता, पुलिस थाना कोलवा, तह. व जिला दौसा हाल एच.सी. नं. 106, पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 4000/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ......रिश्वती राशि 4000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री जौहरी लाल मीना, उम्र 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी श्रीगोविन्दपुरा, तह. लालसोट, जिला दौसा ने दिनांक 28.07.2023 को समय 2.00 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो दौसा को एक लिखित रिपोर्ट पेश की। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का श्रीमान् द्वारा अवलोकन कर मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी की लिखित रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रमेश चन्द मीना को हमराह लेकर अपने कक्ष में आया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पाई गई कि मैं हलवाई का काम करता हूं। पुलिस थाना झापदा में लोकेश मीना, रामफूल, रामभजन मीना, कमलेश, अशोक व 10–12 अन्य व्यक्तियों के विरूद्व मुकदमा नम्बर 77/2023 दर्ज हुआ था, जिसकी जॉच श्री रामप्रसाद हैड कानि0 कर रहे है, जिन्होने मेरे से इस मुकदमें में अन्य व्यक्तियों में मेरे पुत्र रवि का नाम बताकर उसको मुलजिम नही बनाने के लिए 4,000 रूपये रिश्वत की मांग कर

रहा है। जबकि मेरे पुत्र रवि का इस मुकदमें से कोई लेन देना नही है। मै रामप्रसाद हैड कानि0 को रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई रंजिश, दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकि नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करे।परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि0 श्री अशोक कुमार नं. 505 को मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा के लिए समय करीब 2.40 पी.एम. पर रवाना किया। तत्पश्चात् समय करीब 9.00 पी.एम. पर श्री अशोक कुमार कानि. नं. 505 मय परिवादी श्री रमेश चन्द मीना के रवाना शुदा बाद गोपनीय मांग सत्यापन के संदिग्ध आरोपी रामप्रसाद हैड कानि0 पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा से उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश कर बताया कि मैं और आपका कानि. श्री अशोक कुमार आपके कार्यालय से रवाना होकर झापदा तिराहे पर चाय की दुकान के नजदीक पहुंचे, जहां पर बोलेरो गाडी को एक साईड में खडी कर श्री अशोक कुमार ने मुझे टेपरिकार्डर चालू कर दिया, तो मैं टेप रिकार्डर को लेकर चाय की दुकान पर चला गया तथा श्री अशोक कुमार चाय की दुकान के पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मेरे उपर नजर रखते हुए खडा हो गया। मैं चाय की दुकान पर गया तो मेरे को श्री रामप्रसाद हैड साहब उपस्थित मिले, जिनसे मैंने मेरे पुत्र रवि को पुलिस थाना झापदा में दर्ज प्रकरण संख्या 77/2023 जिसकी जांच श्री रामप्रसाद हैड साहब कर रहे है, उसमें मुल्जिम नहीं बनाने के लिये बात की तो श्री रामप्रसाद हैड साहब ने मेरे से मेरे पुत्र रवि को उक्त प्रकरण में मुल्जिम नहीं बनाने के लिये 4000/–रूपये रिश्वत की मांग कर बाद में देने के लिये कहा। मैंने श्री रामप्रसाद से हुई सभी बातों को आपके द्वारा दिये गये डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली गई। इसके बाद रामप्रसाद जी अपने थाने में चले गये और मैं डिजीटल टेप रिकार्डर बंद कर चाय की होटल से रवाना होकर श्री अशोक कुमार के पास आया और उनको ये सभी बाते बताई। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये। परिवादी की बातों की ताईद श्री अशोक कुमार कानि. ने भी की। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सूना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसके पुत्र रवि को मुल्जिम नहीं बनाने के लिये 4000 रूपये रिश्वती राशि की मांग कर देने के लिये कहना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि साहब मुझे दिनांक 2.8.2023 तक जरूरी काम है। मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3.08.2023 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 3.08.2023 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में आने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 3.08.2023 को पाबन्द शुदा परिवादी श्री रमेश चन्द मीना समय करीब 9.00 एएम. पर कार्यालय में उपस्थित आया जिससे संदिग्ध आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि. को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/–रूपये बाबत पूछा तो परिवादी ने अपने पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में ही बैठाया गया। इसके बाद पूर्व के पाबन्दशुदा गवाहान को जरिये दूरभाष तलब कर शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने बाबत निर्देश दिये गये तो पाबन्दशुदा दोनों गवाहान श्री कपूर चन्द कोली, सहायक प्रयोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, दौसा एवं श्री मोहित कटारा, सहायक लेखाधिकारी– द्वितीय, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी श्री रमेश चन्द मीना से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 28.07.2023 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से

पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि0 पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 28.07.2023 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि0 पुलिस थाना झापदा जिला दौसा की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री रमेश चन्द मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के पैन ड्राईव व डीवीडी बनाने हेतु दो पैन ड्राईव व दो डीवीडी खाली मगंवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से दो पैन ड्राईव व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिशचित कर दोनों पैन ड्राईव व दोनों डीवीडी पर मार्क– A-1, A-2, A-3, A-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री रमेश चन्द मीना के हस्ताक्षर करवाकर दोनों पैन ड्राईव व एक डीवीडी मार्क A-1, A-2, A-3 को प्लास्टिक के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों पैन ड्राईव व डीवीडी को अलग–अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा दूसरी डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर पर श्री अशोक कुमार कानि0 505 से टाईप करवाई गई। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती पैन ड्राईव व डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी श्री रमेश चन्द मीना को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4000/–रू0 निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अकिंत कर नोटो पर श्री दौलतराम हैड कानि0 101 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 4000/–रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री दौलतराम हैड कानि0 101 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रमेश चन्द मीना की जामा तलाशी गवाह श्री कपूर चन्द से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 4000/–रू. के नोट श्री दौलतराम हैड कानि0 101 से परिवादी के पहने हुए कुर्ते की सामने की बाई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया

जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री दौलतराम हैड कानि0 101 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री दौलतराम हैड कानि0 101 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात समय करीब 11.50 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री रमेश चन्द मीना व स्टाफ सदस्य सर्व श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन तथा परिवादी की बोलेरो गाडी एवं श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक सुपरवीजन हेतु एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना झापदा के लिए रवाना होकर समय करीब 1.30 पी.एम. पर ग्राम श्यामपुरा बस स्टैण्ड पर पहुंचे। जहां पर वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा करवाकर संदिग्ध आरोपी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी श्री रमेश चन्द मीना के मोबाईल नंबर 9079619733 से श्री रामप्रसाद हैड कानि. के मोबाईल नंबर 9887048801 पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने परिवादी को 6–7 बजे के आसपास दौलतपुरा गांव में तिराहे पर बुलाया है, इस पर काफी समय होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के ग्राम श्यामपुरा से रवाना होकर कोथून हाईवे पर किट्टू होटल पर पहुँच मुकीम हुए। इसके बाद समय करीब 6.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर मय वाहनों के किट्टू होटल से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही आरोपी के बताये अनुसार स्थान ग्राम दौलतपुरा तिराहे के लिये रवाना होकर समय करीब 7.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा ग्राम दौलतपुरा तिराये के नजदीक पहुँचा, जहां पर वाहनों को तिराये के ईधर उधर साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास तिराये के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये तिराये के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 07.30 पी.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द मीना ने ग्राम दौलतपुरा में दुकान परचून श्री कैलाश पुजारी के सामने तिराहे पर खडे होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार श्री रामप्रसाद हैड कानि. के कहेनुसार ग्राम दौलतपुरा के तिराहे पर पहुंचा, तो श्री रामप्रसाद हैड कानि. अपने अन्य स्टाफ के साथ पुलिस वर्दी में पुलिस की गाडी लेकर मुझे खडे मिले, जिनसे मैंने मेरे पुत्र रवि को मुकदमे से निकालने बाबत बात की, तो श्री रामप्रसाद हैड कानि. ने मुझसे अपनी तयशुदा रिश्वती राशि की मांग की इस पर मैंने अपनी जेब से पाउडरयुक्त 4000 रूपये निकालकर उनको दिये तो उन्होंने अपने दांये हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिये। इसके बाद मैंने मौका पाकर आपको मुकर्रर ईशारा कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपने पास वर्दी पहने हुए खडे व्यक्ति, जिसकी वर्दी की शर्ट की दाहिनी साईड की बाजू पर तीन फीत लगी हुई है, की तरफ ईशारा कर बताया कि

साहब यही श्री रामप्रसाद हैड कानि. साहब है, जिन्होनें अभी–अभी मुझसे मेरे पुत्र को पुलिस थाना झापदा में दर्ज प्रकरण संख्या 77/23 में मुल्जिम नहीं बनाने की ऐवज में अपनी तयशुदा रिश्वती राशि के 4000 रूपये मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की बगल की दाहिनी जेब में रख लिये जो अभी–भी इनकी जेब में रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वर्दी पहने हुए व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राम प्रसाद बैरवा पुत्र श्री सोहनलाल बैरवा, जाति बैरवा, उम्र 48 साल, निवासी कालोता, पुलिस थाना कोलवा, तह. व जिला दौसा हाल एच.सी. नं. 106, पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री रामप्रसाद हैड कानि. 106 को परिवादी श्री रमेश चन्द से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 28.07.2023 को 4000/–रूपये रिश्वत की मांग कर अपनी उक्त मांग की अनुशरण में आज दिनांक 3.08.2023 को वरवक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी से मांग कर प्राप्त की गई रिश्वती राशि बाबत पूछा गया, तो आरोपी रामप्रसाद हैड कानि. ने बताया कि दिनांक 28.07.2023 को शाम को श्री रमेश चन्द मेरे पास झापदा तिराहा पर आया था और मेरे पास पुलिस थाना झापदा में दर्ज प्रकरण संख्या 77/23 जो श्री लोकेश मीणा, रामफूल, कमलेश, अशोक व 10–12 अन्य के विरूद्ध दर्ज है एवं मेरे पास अनुसंधान में है, जिसके अन्य में रमेश चन्द का पुत्र रवि भी है, उसको उक्त प्रकरण में मुल्जिम नहीं बनाने बाबत वार्ता की थी, लेकिन मैंने उस दिन श्री रमेश चन्द से कोई रिश्वत की मांग नहीं की। इसके बाद आज ये मुझे दोपहर में फोन किया और आने के लिये कहा, लेकिन मैं व्यस्त होने के कारण इनको शाम को दौलतपुरा आने के लिये कहा था। इस पर इन्होंने मेरे को और भी कॉल किये थे, जिस पर मैंने पुनः इनको 6–7 बजे के आसपास दौलतपुरा ही आने के लिये कहा था। इसके बाद मैं डी.ओ. ड्यूटी होने पर सरकारी गाडी बोलेरो व स्टाफ सदस्य श्री खेमचन्द कानि. व चालक श्री किशोरी लाल के गश्त करता हुआ दौलतपुरा तिराहे पर पहुंचकर गाडी को खडी की तो कुछ समय बाद श्री रमेश चन्द मेरे पास आया और मेरी जेब में जबरदस्ती कुछ रूपये डाल दिये, जो मेरी जेब में ही है। मुझे नहीं पता वो कितने रूपये है। मैंने रमेश चन्द से कोई रिश्वत की मांग नहीं की है। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा तो परिवादी ने कहा कि साहब हैड साहब झूठ बोल रहे है। इन्होने मेरे से दिनांक 28.07.2023 को मांग सत्यापन के दौरान झापदा तिराहे पर प्रकरण संख्या 77/23 में मेरे पुत्र को मुल्जिम नहीं बनाने के लिये 4000/–रूपये की मांग की थी। अपनी उक्त मांग के अनुसार आज मेरे को जब मैं इनसे जरिये दूरभाष मेरे मोबाईल नंबर 9079619733 से श्री रामप्रसाद हैड कानि. के मोबाईल नंबर 9887048801 पर कई बार बात की, तो इन्होंने मुझे 6–7 बजे के आसपास दौलतपुरा तिराहे पर बुलाया था। जब मैं इनके पास तिराहे पर आया और अपने पुत्र को मुल्जिम नहीं बनाने के लिये वार्ता की तो इन्होंने मेरे से मांग कर 4000/–रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिये। इस पर मौके पर काफी भीड होने व हा–हल्ला होने के कारण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि. के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्यों से पकडने बाबत कहा तो श्री लोकेश कुमार नं. 155 ने आरोपी का बांया हाथ एवं श्री अशोक कुमार, कानि. ने आरोपी का दाहिना हाथ कलाई के उपर से अलग–अलग पकड लिये। इसके बाद आरोपी के दोनों हाथों को पकडे हुए ही मय स्टाफ सदस्यों को वाहनों में बैठाकर दौलतपुरा से पुलिस थाना झापदा के लिये रवाना होकर पुलिस थाना झापदा में पहुंचे। जहां पर एच.एम. कार्यालय कक्ष में आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि. को बैठाया गया। तत्पश्चात् पुलिस थाना झापदा में रखी पानी की मटकी में से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि. नं. 106 के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर हल्का गुलाबी व गदमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर

चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् श्री रामप्रसाद हैड कानि. 106 की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब की जामा तलाशी गवाह श्री कपूर चन्द से लिवाई गई तो श्री रामप्रसाद हैड कानि. नं. 106 की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में कुछ रूपये होना बताया जिनको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाह श्री कपूर चन्द ने आरोपी की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब से कुछ रूपये निकालकर 500–500 रूपये के 8 नोट कुल 4000/–रूपये होना व दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। तत्पश्चात् बरामदशुदा नोटों के नंबरो की लिखापढी फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि में अंकित कर नोटो को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी के कहे अनुसार पुलिस थाना झापदा के स्टाफ से उसकी पेन्ट मंगवाकर आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि. 106 के बदन पर पहनी हुइ वर्दी की पेन्ट बरंग खाकी जिसकी बगल की दाहिनी जेब में रिश्वत राशि 4000/–रूपये प्राप्त कर रखी गई थी एवं जो उक्त जेब से बरामद हुई है, को आरोपी के बदन से शालीनता पूर्वक उतरवाया जाकर मंगवाई गई पेन्ट को पहनाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्व की भॉति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब, जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया जाकर धोवन लिया गया तो, धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त पेन्ट वर्दी बरंग खाकी की बगल की दाहिनी जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "P" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व श्री रामप्रसाद हैड कानि. के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई। इसके बाद आरोपी से परिवादी के पुत्र श्री रवि के संबंध में दर्ज मुकदमा नं. 77/23 की पत्रावली बाबत पूछा गया तो पत्रावली पुलिस थाना झापदा पर होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन–देन बाबत पूछा तो दोनों ने ही इंकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी के किराये के कमरे झापदा की जरिये फर्द खाना तलाशी ली जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री कपूर चन्द कोली, सहायक प्रयोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, दौसा एवं श्री मोहित कटारा, सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, दौसा व परिवादी श्री रमेश चन्द मीना के समक्ष परिवादी श्री रमेश चन्द मीना व आरोपी श्री रामप्रसाद, हैड कानि. नं. 106 के मध्य दिनांक 3.08.2023 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री रामप्रसाद की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री रमेश चन्द मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता के पेन ड्राईव/डीवीडी बनाने हेतु दो पेन ड्राईव व दो खाली डीवीडी ट्रेप बाक्स से ली जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित

कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से दो पेन ड्राईव व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव व डीवीडी पर मार्क– B-1, B-2, B-3 व B-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री रमेश चन्द मीना के हस्ताक्षर करवाकर दोनों पेन ड्राईव व एक डीवीडी मार्क B-1, B-2 व B-3 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क B-1, B-2 व B-3 को अलग–अलग सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B-1, B-2 व B-3 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा डीवीडी मार्क B–4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दिनांक 4.08.2023 को समय करीब 1.05 ए.एम. पर फर्द प्राप्ति नमूना आवाज आरोपी तैयार की गई एवं आरोपी के सहकर्मी से मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन–देन के समय परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता की डी.वी.डी. को चालूकर सुनाया जाकर आरोपी की आवाज की फर्द पहचान आवाज तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् परिवादी के पुत्र से संबंधित प्रकरण संख्या 77/2023 की मूल पत्रावली की फोटोप्रति करवाई जाकर बाद प्रमाणित जरिये फर्द जप्त की गई। आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि. नं. 106, पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर–37 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी को बाद कार्यवाही रूखस्त कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ सदस्यों के मय गिरफतार शुदा आरोपी श्री रामप्रसाद हैड कानि. नं. 106, पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा, जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन के पुलिस थाना झापदा जिला दौसा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पहुँचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा शीशीयॉ व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 4000/–रूपये को जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री सोहनलाल बैरवा, जाति बैरवा, उम्र 48 साल, निवासी कालोता, पुलिस थाना कोलवा, तह. व जिला दौसा हाल एच.सी. नं. 106, पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री जौहरी लाल मीना, उम्र 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी श्रीगोविन्दपुरा, तह. लालसोट, जिला दौसा से पुलिस थाना झापदा में दर्ज प्रकरण संख्या 77/2023 जो श्री लोकेश मीणा पुत्र सांवलराम, रामफूल पुत्र भौरीलाल, रामभजन पुत्र रामफूल मीणा, कमलेश पुत्र भौरेलाल मीणा, अशोक पुत्र सांवलराम निवासी थूणीधराजपुरा व 10–12 अन्य के विरूद्ध दर्ज है, उसके अन्य में परिवादी श्री रमेश चन्द के पुत्र रवि का नाम बताकर उसको मुल्जिम नहीं बनाने की ऐवज में मांग सत्यापन दिनांक 28.07.2023 को परिवादी से 4000/–रूपये रिश्वत की मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 4000/–रूपये आज दिनांक 3.08.2023 को परिवादी से मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखना तथा उक्त राशि आरोपी के बदन पर पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब से बरामद होना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री सोहनलाल बैरवा, जाति बैरवा, उम्र 48 साल, निवासी कालोता, पुलिस थाना कोलवा, तह. व जिला दौसा हाल एच.सी. नं. 106, पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
दौसा

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री सोहनलाल बैरवा, हैड कानि. नम्बर 106, पुलिस थाना झापदा, जिला दौसा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 209/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.8.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक- 2480-83 दिनांक 4.8.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

4.8.23

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।